<u>प्रकाशनार्थ नहीं</u>
केवल संसद सदस्यों के लिए

लोक सभा

वाद-विवाद का सारांश

(प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

बुधवार, 11 अगस्त, 2021 / 20 श्रावण, 1943 (शक)

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अत्यंत दु:ख के साथ अपने चार पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री वीरभद्र सिंह तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के महासू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था तथा 5वीं, 7वीं और 15वीं लोक सभा में हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री वीरभद्र सिंह भारत सरकार में इस्पात तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री,पर्यटन और नागर विमानन उपमंत्री तथा उद्योग राज्य मंत्री रहे। एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, श्री वीरभद्र सिंह छह कार्यकाल के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे हिमाचल प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे।

श्री वीरभद्र सिंह का निधन 87 वर्ष की आयु में शिमला में 8 जुलाई, 2021 को हुआ।

श्री नित्यानंद मिश्र 7वीं और 8वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने ओडिशा के बोलंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री नित्यानंद मिश्र का निधन 93 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में 22 जुलाई, 2021 को हुआ।

प्रो. गोपालराव मायेकर 9वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे लोक लेखा समिति और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व, प्रो. मायेकर गोवा, दमन और दीव विधान सभा के सदस्य थे और वे गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री भी रहे।

प्रो. गोपालराव मायेकर का निधन 87 वर्ष की आयु में पणजी में 22 जुलाई, 2021 को हुआ।

श्री सुदर्शन राय चौधरी 9वीं और 10वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री चौधरी पश्चिम बंगाल विधान सभा के भी सदस्य रहे और वे पश्चिम बंगाल सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे।

श्री सुदर्शन राय चौधरी का निधन 75 वर्ष की आयु में हुगली में 31 जुलाई, 2021 को हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

विदाई संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सत्रहवी लोक सभा का छठा सत्र समाप्त हो रहा है। यह सत्र 19 जुलाई, 2021 को प्रारम्भ हुआ था। इस सत्र में सदन का कामकाज अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। निरंतर गतिरोध के कारण इस सत्र में सदन की कुल 17 बैठकों में मात्र 21 घंटे 14 मिनट तक का ही कार्य संपादित किया गया। व्यवधान के कारण बैठक के लिए नियत 96 घंटे में से 74 घंटे 46 मिनट तक सदन में कामकाज नहीं हो सका, जिसके कारण इस सत्र में सदन का कार्य निष्पादन मात्र 22 प्रतिशत रहा। सत्र के प्रारंभ में लोक सभा के चार सदस्यों ने 19 जुलाई, 2021 को सदस्यता की शपथ ली। सत्र के दौरान सदन में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य का निष्पादन किया गया। इस सत्र के दौरान 15-17 विधेयक पुर:स्थापित किए गए। संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021 सहित 20 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान निरंतर व्यवधान के बावजूद प्रश्न काल में 66 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन कुल 331 मामले उठाए। स्थायी समितियों के सभा में 60 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

माननीय मंत्रियों के द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 22 वक्तव्य दिए गए, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में तीन वक्तव्य भी दिए गए । सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 1,243 पत्र सभा पटल पर रखे गए।

मैं सभा की कार्यवाही को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल सभी माननीय साथियों का उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सभी दलों के माननीय नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर सभा को प्रदान की गई समर्पित व त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी

धन्यवाद देता हूं। मैं सभा की कार्यवाही संचालित करने से संबंधित एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

© 2021, प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय को प्राप्त।
नोट: वाद-विवाद के पूरे विवरण को ही अधिकृत माना जाना चाहिए, सारांश को नहीं।
लोक सभा वाद-विवाद का सारांश अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण वेबसाइट http://loksabha.nic.in पर भी उपलब्ध है।